

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-१५ / ०६ / २०२६

विषय:- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० ६०३.६८ करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य योजना मद से राशि रु० १०,००,००,०००/- (रुपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर में १५० नामांकन क्षमता के साथ ६३० बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रु० ६०३.६८ करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय/राज्यादेश संख्या-११(७), दिनांक-२१.०४.२०२२ द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

२- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्यादेश/आवटनादेश सं० एवं दिनांक
१	२०२४-२५	२०,००,००,०००	सं०-१७८(७), दिनांक- १७ ०९.२०२४
२	२०२४-२५	२५,००,००,०००	सं०-४०५ (७), दिनांक- ३०.०१.२०२५
३	२०२४-२५	१०,००,००,०००	सं०-४९६ (७), दिनांक- १० ०३ २०२५
४	२०२४-२५	२५,००,००,०००	सं०-५३८ (७), दिनांक- २०.०३.२०२५
५	२०२५-२६	१५,००,००,०००	सं०-२७२ (७), दिनांक- ०२.०९.२०२५
६	२०२५-२६	१०,००,००,०००	सं०-३४९ (७), दिनांक- ०६ १०.२०२५
७	२०२५-२६	७,००,००,०००	सं०-४४५ (७), दिनांक- १५ १२ २०२५
८	२०२५-२६	२५,००,००,०००	सं०- ८८(७१), दिनांक- १७ ०२-२०२६
९	२०२५-२६	१०,००,००,०००	सं०-१०१(७१), दिनांक- ०२ ०३ २०२६
१०	२०२५-२६	१०,००,००,०००	सं०-१२५(७१), दिनांक- २० ०३ २०२६
	कुल-	१,५७,००,००,०००	

३- अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० ६०३.६८ करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य योजना मद से राशि रु० १०,००,००,०००/- (रुपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-11(7), दिनांक-21.04.2022 में निहित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

5- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 051 निर्माण-0101-नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030510101, विषय शीर्ष-53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

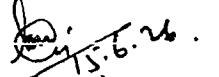
10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/बजट-46-01/2022 के पृष्ठ-99/टि0 में प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंमु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक.-07/बजट-46-01/2022 - 202 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक-15/06/2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

202/7A)
15/06/2026

सं. 15-6-26.
सरकार के अपर सचिव।

